न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 07/2020(2020/00063)

अनवान : –

1. हरदत्त पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री अदरीश अली वकील –प्रार्थी
राजपैरोकार –राज0 सरकार

निर्णय   दिनांक : 19/10/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा ग्राम डूंगराना के खाता सं0 516/477 के खसरा नम्बर 116 की 1.657 हैक्टेयर बारानी प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम हरदत्त के स्थान पर हरपत पुत्र रामजीलाल दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हरदत्त की बजाये हरपत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता रामजीलाल के हरपत नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड में भी प्रार्थी का नाम हरदत्त पुत्र रामजीलाल दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत डूंगराना के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में हरदत्त की बजाये हरपत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम हरपत पुत्र रामजीलाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम हरदत्त पुत्र रामजीलाल दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:36 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरदत्त के स्थान पर हरपत दर्ज होने से प्रार्थी को ... द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन ... लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम हरपत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम डूंगराना में खाता संख्या 516/477 में प्रार्थी का नाम हरदत्त दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया व तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनके तथ्य अपनी जानकारी में होना बताया जो सही होना स्वीकार किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी हरदत्त पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी डूंगराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जो ग्राम डूंगराना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 515/477 प्रदर्श 1 है, सरपंच ग्राम पंचायत डूंगराना के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम डूंगराना के खाता सं0 516/477 के खसरा नम्बर 116 की 1.657 हैक्टेयर बारानी में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम हरदत्त के स्थान पर हरपत दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड व भामाशाहकार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम हरदत्त अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम डूंगराना के खाता सं0 516/477 के खसरा नम्बर 116 की 1.657 हैक्टेयर बारानी में प्रार्थी का नाम **''हरपत के स्थान पर हरदत्त उर्फ हरपत ''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच हरपत पुत्र रामजीलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से हरपत पुत्र रामजीलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए हरपत ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:36 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ